

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 7(2) (1)रा.छा./नियम/सान्याअवि/19/ 34054

जयपुर, दिनांक: 11/6/19

संशोधित आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश संख्या एफ 7 (2) (1) रा.छा./सान्याअवि/2012/56513 दिनांक 19.10.2012 के द्वारा जारी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 6 के बिन्दु संख्या (iii) एवं (iv) में राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.स.	नियम का विवरण	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1.	नियम 6 (iii)	छात्रावास में पूर्व प्रवेशित छात्र-छात्राओं को गत कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किये जाने पर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा। यदि आवासी छात्र-छात्रा द्वारा 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके रिक्त स्थान पर प्रवेश के आशार्थी नवीन छात्र-छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।	छात्रावास में पूर्व प्रवेशित छात्र-छात्राओं को गत कक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित किये जाने पर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा। यदि आवासी छात्र-छात्रा द्वारा 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके रिक्त स्थान पर प्रवेश के आशार्थी नवीन छात्र-छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
	नियम 6 (iv)	छात्र/छात्र के परिवार जिसमें उसके माता-पिता, भाई-बहन तथा वह स्वयं शामिल होगा की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2,00,000 रुपये से अधिक न हो।	छात्र/छात्र के परिवार जिसमें उसके माता-पिता, भाई-बहन तथा वह स्वयं शामिल होगा की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8,00,000 रुपये से अधिक न हो।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 7(2) (1)राछा./सान्याअवि/19/34055-34255

जयपुर, दिनांक: 11/6/19

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर.....।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.....।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त संशोधित नियम को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें, तथा छात्रावास ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर भी उक्त संशोधन नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।
11. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
12. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

36
10/06/19

(ओम प्रकाश राहड़)
सहायक निदेशक (छात्रावास)